प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट - "तीस" [23/3/2017]

प्रश्न संख्या [क. 6562]

विधान सभा प्रश्न क्र. 6562

परिशिष्ट 'अ'

(1)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक एफ 19–76/2007/1/4, भोपाल, दिनांक 22 मार्च, 2011.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश,
समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश,
समस्त कलेक्टर्स,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषयः– माननीय संसद सदस्यों एवं विधायकों के पत्रों पर कार्यवाही तथा शासकीय कार्यक्रमों में आमंत्रित करने के संबंध में।

संदर्भः– (1) संसदीय कार्य विभाग का ज्ञापन क्रमांक 109 एक (2) 31/48/2001 (सं.का.) दिनांक 23.01.2002 एवं क्रमांक 259/एक/(8)/13/48/2002 (सं.का.) दिनांक 26–2–2004.
(2) सा.प्र.वि. का ज्ञापन क्रमांक एफ 19–153/2004/1/4, दिनांक 10–8–2004.
(3) सा.प्र.वि. का ज्ञाप क्रमांक एफ 19–76/2007/1/4, दिनांक 18–5–2007.
(4) सा.प्र.वि. का ज्ञाप क्रमांक एफ 19–76/2009/1/4, दिनांक 17–8–2009.
(5) सा.प्र.वि. का ज्ञाप क्रमांक एफ 19–136/2007/1/4, दिनांक 2–12–2009.

माननीय संसद सदस्यों तथा विधायकों के साथ शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने, उनके पत्रों की पावती देने, उनके पत्रों पर कार्यवाही कर उत्तर देने एवं उन्हें सार्वजनिक समारोह/कार्यक्रमों में आमंत्रित करने के संबंध में उपरोक्त संदर्भित पत्रों द्वारा समय–समय पर निर्देश जारी किये गये है।

2/ उक्त निर्देशों के बाद भी विभाग/विभागाध्यक्ष तथा जिला स्तर पर माननीय सांसदों एवं विधायकों के साथ प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने तथा उनके पत्रों का जवाब न देंने के संबंध में शासन को शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। इन निर्देशों का सतर्कतापूर्वक एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुनः निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते है :–

1. माननीय संसद सदस्यों/विधायकों से प्राप्त पत्रों की अभिस्वीकृति अधिकतम तीन कार्य दिवसों में अनिवार्य रूप से भेजी जाए। इस हेतु अभिस्वीकृति का प्रारूप परिशिष्ट–'एक' पर संलग्न है।

2. माननीय संसद सदस्यों/विधायकों से प्राप्त पत्रों के लिए पृथक पंजी संधारित करना अनिवार्य है (प्रारूप परिशिष्ट–'दो' पर है)। इन पंजियों का संबंधित कार्यालय प्रमुख कम से कम माह में एक बार अवलोकन कर उस पर हस्ताक्षर करेंगे।

3. प्राप्त पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही कर जारी किए गए आदेश/निर्देश की प्रति के साथ उत्तर माननीय संसद सदस्यों/विधायकों को सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से भेजा जाए।

4. प्रत्येक कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय में जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों की मासिक समीक्षा करेंगे।

3/ शासन के किसी भी विभाग/कार्यालय/संस्थाओं द्वारा आयोजित शासकीय/सार्वजनिक समारोह/कार्यक्रमों में संबंधित क्षेत्र के माननीय सांसद/विधायक को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाए। उन्हें आमंत्रण पत्र/प्रवेश पत्र समय से पूर्व भेजे जाए, ताकि इस संबंध में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इन समारोहों/कार्यक्रमों में उपस्थित माननीय संसद सदस्यों/विधायकों को समुचित सम्मान दिया जाए और वारंट ऑफ प्रिसीडेन्स के आधार पर ही माननीय सदस्यों के बैठने के लिए उनकी गरिमा के अनूकुल स्थान सुरक्षित रखा जाए।

4/ शासकीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे माननीय संसद सदस्यों एवं विधायकों के प्रति यथोचित शिष्टाचार तथा सम्मान दर्शाते हुए उनके कार्य निष्पादन तथा कर्तव्यों के निर्वहन में उनकी सहायता करें। माननीय संसद सदस्य/विधायक के किसी प्रस्ताव/सुझावों को स्वीकार करने में कोई कठिनाई हो तो स्पष्ट कारणों सहित नम्रता तथा शिष्टाचार के साथ उन्हें अवगत कराएं।

5/ कृपया उक्त निर्देशों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के ध्यान में लाकर इनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी इन निर्देशों की अवहेलना करता है तो उनका यह कृत्य उस पर लागू आचरण या सेवा नियमों के अधीन अवचार समझा जाएगा और संबंधित को निलंबित किया जा सकेगा और अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(विजया श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4, भोपाल, दिनांक 22 मार्च, 2011.

प्रतिलिपिः-

1. मध्यप्रदेश के समस्त माननीय संसद सदस्य।
2. मध्यप्रदेश विधानसभा के समस्त माननीय सदस्य।
3. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
6. सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
7. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग।
8. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।

9. सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
11. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
12. सचिव, राज्य सूचना आयोग, भोपाल।
13. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल।
14. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
15. महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल।
16. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
17. निज सचिव/निज सहायक, माननीय मुख्यमंत्री जी/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आर.के. गजभिये)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग